

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.2(9)न्याय/2018


जयपुर दिनांक 24 MAY 2022

::अधिसूचना::

इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ. 2(1)न्याय/90 दिनांक 30.01.1990 एवं अधिसूचना क्रमांक प. 1(3)न्याय/2010 दिनांक 05.06.2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 9 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 (सन् 1989 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 22) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार, एतद्वारा जयपुर में स्थित विशिष्ठ न्यायालयों का क्षेत्राधिकार परिवर्तित करते हुए, निम्नानुसार अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2, जयपुर जिला के न्यायालय को भी विशिष्ठ न्यायालय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, जयपुर जिला के रूप में गठित करती है:-

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान	अधिकारिता क्षेत्र
1	विशिष्ठ न्यायालय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, जयपुर महानगर-प्रथम	जयपुर	न्यायक्षेत्र जयपुर महानगर-प्रथम के अधीन आने वाले क्षेत्र
2	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2, जयपुर महानगर द्वितीय	जयपुर	न्यायक्षेत्र जयपुर महानगर-द्वितीय के अधीन आने वाले क्षेत्र
3	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2, जयपुर जिला	जयपुर	जयपुर राजस्व जिला (न्यायक्षेत्र जयपुर महानगर-प्रथम व द्वितीय के अधीन आने वाले क्षेत्र को छोड़कर)

राज्यपाल के आदेश से,



(प्रवीर भटनागर)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग।
8. जिला कलक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, जयपुर महानगर/जयपुर जिला।

9. महानिदेशक, आरसी/जेल, राजस्थान, जयपुर।
10. शासन सचिव, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- ✓ 12. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वेबसाइट पर ई-गजट में ऑनलाइन प्रकाशन करवाने हेतु।
- ✗ 13. रक्षित पत्रावली।


(अजित रमेश)
संयुक्त शासन सचिव